"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 जुलाई 2017 — आषाढ़ 15, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 30 जून 2017

आदेश

विषय :–त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–8क, 8ख, 8ग, 8घ) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–38(3) के तहत् विहित प्रक्रिया।

क्र.एफ 38–1/तीन(एक)–4/पंचा.निर्वा./2017/2977. — आयोग के आदेश क्रमांक एफ–46/रा.नि.आ./पनि./अभ्यर्थी सूची/निर्देश/04/667 दिनांक 04/06/2014 से छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 38 के उप नियम(3) के अनुक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए रीति विहित की गई है। विगत निर्वाचन के दौरान आयोग के ध्यान में यह तथ्य आया है कि हिन्दी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों के नामों का वर्णक्रम निर्धारण करने में कई बार शाब्दिक एवं व्याकरणीय जटिलता के कारण विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, जो पुनर्मतदान का कारण बनती है। कई बार मतपत्रों में मुद्रण की त्रुटि से कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थितियाँ भी निर्मित हुई है। अतः निर्वाचन की सुचारू संचालन के लिए उक्त आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर अभ्यर्थियों के वर्णक्रम निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम–38(3) के तहत् निम्नानुसार प्रक्रिया विहित की जाती है :–

1. छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम–38(2) 40 और 51 के तहत मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि में मुद्रित किये जायेंगे।

2. हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि में मतपत्रों को मुद्रित कराने के लिए अभ्यर्थियों के नामों का वर्णक्रम निर्धारण उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabet) के आधार पर किया जाये।

3. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न परिशिष्ट–1 में मतपत्र तथा निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों में लिखे जाने वाले उसके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की जानकारी प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थी यह जानकारी संवीक्षा तिथि तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इस आशय की जानकारी नाम निर्देशन पत्र जमा करने पर दी जाने वाली चेकलिस्ट(पावती) में भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनिवार्य रूप से दर्ज की जायेगी।

4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने के समय तक उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा परिशिष्ट–1 की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इस संबंधी में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम होगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न परिशिष्ट–1 में अंग्रेजी भाषा में जिस प्रकार नाम लिखा गया है, उसके प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए। यदि अभ्यर्थी ने अपने नाम के साथ कुलनाम (सरनेम) भी लिखा है परन्तु कुलनाम नाम के बाद लिखा गया है तो नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाए। परन्तु यदि कुल नाम, नाम के पहले लिखा गया है तो कुलनाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम Rajesh Sharma लिखा है तो उसका वर्णक्रम निर्धारण R के आधार पर होगा और यदि उसने अपना नाम Sharma Rajesh लिखा है तो वर्णक्रम निर्धारण S के आधार पर होगा।

6. यदि अभ्यर्थी ने अपना पूरा नाम न लिखकर आद्याक्षरों में (Initials) में लिखा हो तो वर्णक्रम निर्धारित करते समय आद्याक्षरों (Initials) की ओर ध्यान नहीं दिया जाए। उदाहरण यदि अभ्यर्थी Shiv kumar ने अपना नाम S.kumar लिखा है तो "S" के बजाय उसका वर्णक्रम "kumar" शब्द के प्रथम अक्षर "K" के आधार पर निर्धारित किया जाए। यदि अभ्यर्थी Madan Lal Bharti ने अपना नाम M.L. Bharti लिखा है तो "M" के बजाय उसका वर्णक्रम "Bharti" शब्द के प्रथम अक्षर "B" के आधार पर निर्धारित किया जाए। परंतु यदि आद्याक्षरों का प्रयोग करने वाले दो अभ्यर्थी के नामों के शेष बचे भाग (जिसपर कि उपरोक्तानुसार वर्णक्रम निर्धारित होगा) एक समान हों जैसे कि P.S.Verma और B.K.Verma तो उनका पारस्परिक वर्णक्रम निर्धारित करने में उनके आद्याक्षरों के प्रथम अक्षरों को विचार में लिया जाए। इस उदाहरण में B.K.Verma का नाम पहले और P.S.Verma का नाम बाद में रखा जाएगा।

7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम के साथ आदरसूचक शब्द, शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले शब्द, पैतृक नाम या व्यवसाय दर्शाने वाले शब्द या किसी उपाधि को दर्शाने वाले शब्द जोड़े गये हो, जैसे कि ''डाक्टर (Dr.), इंजीनियर (Er.) आचार्य (Acharya), पंडित (Pandit), वैध (Vaidya), प्रोफेसर (Prof.), हकीम (Hakim), मेजर (maj.), कर्नल (Col.), लेफ्टिनेन्ट (Lt.), राजा (Raja), ठाकुर (Thakur), कुंवर (Kunwar), महन्त (Mahant), लाला (Lala), चौधरी (Chaudhary) आदि तो वर्णक्रम निर्धारित करते समय इन शब्दों को नजर अंदाज किया जाए। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी अपना नाम Dr. Anand Mohan लिखता है तो उसका वर्णक्रम Anand के "A" अक्षर के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा, Dr. (डाक्टर) के "D" अक्षर के आधार पर नहीं।

8. कुछ शब्द ऐसे है जो आदरसूचक और कुलनाम दोनों दर्शाने वाले होते है, जैसे कि ठाकुर, चौधरी, पंडित। ऐसे मामले में रिटर्निंग आफिसर को उसे सही संदर्भ में देखना चाहिए। उदाहरणार्थ Ganga Prasad Thakur तथा Thakur Man Singh नामों में ''Ganga Prasad Thakur'' के वर्णक्रम का निर्धारण "Ganga" शब्द पर आधारित होगा क्योंकि यहां Thakur शब्द कुलनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि "Thakur Man Singh" का वर्णक्रम "Man" शब्द पर आधारित होगा, क्योंकि यहां ठाकुर (Thakur) शब्द एक उपाधि या आदरसूचक शब्द के रूप में प्रयोग में लाया गया है। संशय की स्थिति में अभ्यर्थी से स्थिति स्पष्ट करा ली जाए और तद्नुसार ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाए।

9. यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान हों तो प्रत्येक के नाम के आगे उसके पिता का नाम जोड़कर या उसके निवास स्थान या व्यवसाय का उल्लेख करके उसे विभेदित और विस्तारित किया जाए और ऐसे अभ्यर्थियों के नामों के वर्णक्रम का निर्धारण उनके विस्तारित नामों के आधार पर किया जाए। उदाहरण के लिए Kishore Babulal (किशोर बाबूलाल) तथा Kishore Atmaram (किशोर आत्माराम) नामों में Kishore Atmaram का नाम पहले लिखा जाएगा और Kishore Babulal का नाम उसके बाद। परन्तु यदि दोनों उम्मीदवारों के पिता का नाम एक ही हो तो अभ्यर्थियों से परामर्श करके और उनकी सहमति से उनके व्यवसाय या निवास स्थान का नाम साथ में जोड़कर उनके बीच विभेद किया जाए, जैसे कि "Kishore Thekedar" तथा "Kishore Bandmaster" (पेशे के अनुसार विभेद) या "Kishore Nayapura" तथा "Kishore Parasiya" (निवास स्थान के अनुसार विभेद) और विस्तारित नाम के आधार पर उनके वर्णक्रम का निर्धारण किया जाए।

10. यदि दो अभ्यर्थियों के नामों के प्रथम अक्षर एक जैसे हों तो नाम के द्वितीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए। यदि नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर एक जैसे हों तो तृतीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम

निर्धारित किया जाए और यदि नाम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अक्षर एक जैसे हो तो चौथे अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाए और इसी रीति का आगे अनुसरण किया जाए। उदाहरण के लिये :–

i. यदि Ramnarayan तथा Ramprasad अभ्यर्थियों में, प्रथम तीन अक्षर "R", "A" तथा "M" एक समान होने के कारण, वर्णक्रम का निर्धारित चौथा अक्षर "N" और "P" के आधार पर किया जाएगा और तद्नुसार अभ्यर्थियों की सूची में Ramnarayan का नाम पहले तथा Ramprasad का नाम बाद में आएगा।

ii. यदि दो अभ्यर्थियों द्वारा नाम Ramnarayan तथा Ram Prasad लिखे गए हों तां, ऐसी स्थिति में Prasad सरनेम (Surname) के रूप मे माना जाएगा। चूंकि वर्णक्रम का निर्धारण नाम के आधार पर होना है, इस कारण अभ्यर्थियों की सूची में Ram Prasad का नाम पहले तथा Ramnarayan का नाम बाद में आएगा।

iii. संतोष कुमार अग्रवाल (Santosh Kumar Agrawal) और संतोष अग्रवाल (Santosh Agrawal) के वर्णक्रम का निर्धारण क्रमशः संतोष कुमार अग्रवाल में कुमार (K) से और संतोष अग्रवाल में अग्रवाल (A) के आधार पर होगा। अर्थात् संतोष अग्रवाल का नाम पहले आयेगा और संतोष कुमार अग्रवाल का नाम बाद में। इसी प्रकार संतोष कुमार अग्रवाल (Santosh Kumar Agrawal) और संतोष लालचंद अग्रवाल (Santosh Lalchand Agrawal) के वर्णक्रम का निर्धारण क्रमशः कुमार (K) और लालचंद (L) से होगा अर्थात् संतोष कुमार अग्रवाल का नाम पहले आयेगा और संतोष लालचंद अग्रवाल का नाम बाद में।

11. हिन्दी के कई नाम अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखे जाते हैं जिसमें प्रथम अक्षर Silent के रूप में उच्चारित होते है, यथा– क्षितिज (Kshitij), ऋतिक (Hritik), क्षमा (Kshama) इत्यादि। अतः ऐसी स्थिति में वर्णक्रम निर्धारण में Silent अक्षरों को भी मान्य किया जाएगा।

12. सामान्यतः अंग्रजी भाषा में नामों की स्पेलिंग बहुप्रचलित परम्परा के अनुसार ही मान्य की जाये। हीरालाल की स्पेलिंग (Hiralal) और (Heeralal) दोनों प्रकार से मान्य की जाये, परन्तु किशोर की स्पेलिंग (Kishore) ही मान्य की जायेगी, न कि (Keeshore) अथवा (Chishore)।

13. यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थियों की सूची में वरीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के किसी साइलेंट अक्षर से प्रारंभ करता है अथवा किसी अक्षर की पुनर्रावृत्ति करता है। यथा– अमित(Amit) और अनिल(Anil) में वर्णक्रम दूसरे वर्ण (M) और (N) के आधार पर तय होगा और अमित पहले तथा अनिल बाद में आयोग, लेकिन यदि अनिल अपनी स्पेलिंग (Aanil) लिखकर पहले आने का प्रयास करता है तो यह मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि अनिल अपने पक्ष समर्थन में मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स या पेन कार्ड जैसे सर्वमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके नाम की स्पेलिंग वही मान्य होगी जो कि दस्तावेज में दर्ज है। यदि इसी प्रकार राम(Ram) के स्थान पर (Aram) लिखता है तो वह मान्य नहीं होगा। इस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर वही स्पेलिंग मान्य करेगा जो बहुप्रचलित परम्परा अनुसार मान्य हो।

14. अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी से इस आशय की अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने पक्ष समर्थन में अंग्रेजी नाम के दस्तावेज यथा–भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, कार्यालयीन परिचय पत्र आदि), मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक अंकसूची इत्यादि प्रस्तुत करे जिससे कि निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

15. रिटर्निंग ऑफिसर को यह सलाह दी जाती है कि वह वर्णक्रम निर्धारण के विवाद से बचने हेतु समयपूर्व ही अभ्यर्थी से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर लें, जिससे कि अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की पुष्टि हो सके।

16. अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के निर्धारण में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय के रूप में मान्य होगा।

हस्ता./–

(ओंकार सिंह)
सचिव.

परिशिष्ट–1

नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाये

मतपत्र तथा निर्वाचन सम्बंधी दस्तावेजों में लिखे जाने वाले नाम की जानकारी

मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाये।

1. हिन्दी में (नाम निर्देशन पत्र की कंडिका–घ अनुसार)

....

....

2. अंग्रेजी में

....

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :–.................................... नाम ....

नोट

1. हिन्दी में नाम नहीं लिखने की स्थिति में मतपत्रों पर नाम निर्देशन पत्र में अंकित नाम ही मतपत्र तथा निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों में दर्ज किया जायेगा।
2. अंग्रेजी में नाम नहीं लिखने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग अंतिम होगी।
3. नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग में विसंगति अथवा विवाद की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। अभ्यर्थी अपने पक्ष समर्थन में अंग्रेजी नाम के दस्तावेज यथा–भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आई डी भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, कार्यालयीन परिचय पत्र आदि), मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक अंकसूची इत्यादि प्रस्तुत कर सकते है।
4. यह जानकारी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने के समय तक प्रस्तुत की जा सकती है।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017